भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4286

29 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों को पर्याप्त लाभकारी मूल्य

4286. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किसान अपनी फसल को बेचने में सक्षम नहीं हैं और उन्हें आदान लागत और उत्पादन के मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने किसानों की इस आशंका को दूर कर दिया है कि सरकार का सीएसीपी का मॉडल तंत्र जो एमएसपी निर्धारित करने के लिए आदान लागत की गणना करता है, दोषपूर्ण नहीं है;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद प्रत्येक वर्ष दोनों फसल मौसमों में उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) वाली 22 प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। इसके अलावा, तोरिया एवं सरसों तथा खोपरा के एमएसपी के आधार पर क्रमशः तोरिया और छिलका रहित नारियल के लिए भी एमएसपी तय की जाती है। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने कृषि वर्ष 2018-19 से उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत कर की तुलना में कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिफल सहित सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी। सरकार अपनी विभिन्न हस्तक्षेप योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य भी प्रदान करती है। इसके अलावा, समग्र बाजार एमएसपी और सरकार के खरीद कार्यों की घोषणा के प्रति कार्य करती है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न अधिसूचित फसलों की एमएसपी पर या उससे अधिक मूल्य पर निजी खरीद होती है।

सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान व गेहूं के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। इसके अलावा, एफसीआई के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के पोषक-अनाजों और मक्का की खरीद स्वयं की जाती है। यह खरीद उस सीमा तक की जाती है जिसका उपयोग संबंधित राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के साथ-साथ अन्य कल्याण योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत वितरण के लिए कर सके। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की मूल्य समर्थन योजना नामक अम्ब्रेला योजना के तहत इसके निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत किसानों से उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) वाले तिलहन, दलहन और खोपरा की खरीद एमएसपी पर की जाती है। सरकार भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीओई) के माध्यम से कपास और पटसन की भी खरीद एमएसपी पर करती है।

एमएसपी पर सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रभावी खरीद करने और किसानों को एमएसपी का अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों जैसे नैफेड, एफसीआई आदि द्वारा उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और अन्य रसद/बुनियादी ढांचे जैसे भंडारण और परिवहन आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खरीद केंद्र खोले जाते हैं। मौजूदा मंडियों और डिपो/गोदामों के अलावा किसानों की सुविधा के लिए मुख्य बिंदुओं पर बड़ी संख्या में खरीद केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं।

*****